

“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत”

परिशिष्ट-एक में (प्रारूप-स)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर अंत्येष्टी अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रति,

कलेक्टर,
जिला.....
(म.प्र.)

निवेदन है कि,

मैं.....(आवेदक का नाम) आत्मजआयु.....
ग्रामथाना.....तहसील.....जिला.....मण्डी
क्षेत्रका निवासी हूँ।

दिनांकस्थानग्राम.....तहसील.....
जिला.....श्रीजोउक्त स्थान के
कृषक है, का कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना के कारण निधन हो गया है।

अतः अनुरोध है कि अंत्येष्टी के लिये अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें।

मैं (आवेदक) यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दावे के संबंध में अथवा प्राप्त राशि के दावे के संबंध में यह पाया जाये ऐसा दावा या घोषणा असत्य तथ्यों अथवा असत्य जानकारी अथवा असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई हो तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्राप्त सहायता राशि को ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर लें एवं असत्य जानकारी के लिये कानूनी कार्यवाही करें।

नोट-सहायता देने के पूर्व प्रतिष्ठित/गणमान्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणिकरण किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
पता :-
ग्राम.....
तहसील.....
जिला.....
दिनांक:-.....